रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222765
CG-DL-E-27102020-222765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942
No. 549] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

Indiacode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 673(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 502(अ), तारीख 13 अगस्त, 2020 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 13 अगस्त, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(1) नियम (2) के उप-नियम (गकख) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(गकख) "संनिर्माण उपस्कर यान" से रबड़ की टायर वाली (न्यूमेटिक टायर सहित) स्वयं प्रणोदित मशीन, रबड़ पैड वाला या रबड़ अथवा स्टील ड्रम वाला पहिएदार माउंटेड काम्पैक्टर, पहिएदार हाईड्रोलिक उत्खनक, पहिएदार लोडर, बेकहो लोडर, स्कीड-स्टीयर लोडर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, रबड ट्रैक वाली डोजर और पेवर्स अथवा रबर पैड या व्हील वाली पेवर्स, फोर्क लिफ्ट ट्रक, स्वयं लदान कंक्रीट मिक्सर या स्व-प्रणोदित बूम पम्प, स्व-प्रणोदित या क्रंकीट पम्प या अर्थ मूविंग या भूमि, चट्टान, अन्य सामग्रियों के खनन, लदान, परिवहन, ड्रिलिंग, फैलाने, जमा करने या खाई बनाने, राजमार्ग से दूर खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और सामान्य निर्माण कार्य करने के लिए मूल रूप से परिकल्पित, लेकिन राजमार्ग की क्षमताओं के साथ "ऑन या ऑफ" या "ऑन और ऑफ" रूप में उपांतरित और विनिर्मित कोई अन्य निर्माण उपस्कर यान या उसका संयोजन अभिप्रेत है।

इस खंड के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण:-- एक संनिर्माण उपस्कर यान या अर्थ मूविंग यान एक गैर-परिवहन यान होगा, जिसका सड़क पर चालन, मुख्य ऑफ-राजमार्ग क्रिया-कलापों के आनुषंगिक है और पचास कि.मी. प्रतिघंटा से अनधिक गति पर एक संक्षिप्त अवधि के लिए है, लेकिन ऐसे यान में अन्य पूर्णतया ऑफ-राजमार्ग निर्माण उपस्कर यान शामिल नहीं होता है, जो सड़क नेटवर्क से भिन्न किन्ही संलग्न परिसरों, कारखाने या खान में उपयोग के लिए परिकल्पित तथा अंगीकृत किया गया है और लोक सड़क पर अपनी शक्ति से यात्रा करने के लिए सुसज्जित नहीं है, उदाहरण के लिए स्लिप फार्म पेवर्स, कंक्रीट पेवर्स, कोल्ड मिलिंग मशीन, कोल्ड रिसाईकलर मशीन और क्रॉलर्स या मेटल ट्रैक के साथ कोई भी संनिर्माण उपस्कर यान अथवा अर्थ मूवर्स, उदाहरण के लिए पहियों वाले उत्खनक या पैरों वाले उत्खनक, केंद्रीय मोटर यान नियमों के क्षेत्र में आने वाले नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लोक सड़कों पर चालन की अनुमति नहीं है;'

(2) नियम 96-क के उप नियम (7) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:--

*"*परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात् विनिर्मित निर्माण उपस्कर यान में समय समय पर यथा-संशोधित एआईएस: 143-2017 में निर्धारित अनुपालन अपेक्षाए रखने वाली ब्रेकिंग प्रणाली का उपबंध किया जाएगा ।"*;*

(3) नियम 98-क में—

(क) उप-नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

*"*परंतु 1 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात् विनिर्मित निर्माण उपस्कर यान सभी चालन परिस्थितियों में यान का कुशल और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से परिकल्पित किए जाएंगे, ताकि यान समय-समय पर यथा संशोधित आईएस/आईएसओ: 7457: 1997 में विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप 24 मीटर दायरे के भीतर मोड़ने में सक्षम हो, तथापि स्व-प्रणोदित टेंडम ड्रम और एकल ड्रम वाइब्रेटरी कॉम्पेक्टर के मामले में, मोड़ का दायरा और मोड़ सर्कल अपेक्षाओं को क्रमशः आईएस:5500 - भाग 1 और भाग 2 के अनुसार मापा जाएगा ।*";*

(ख) उप नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

*"*परंतु 1 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात् विनिर्मित निर्माण उपस्कर यान समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 144-2018 में यथा निर्धारित स्टीयरिंग प्रयास की आवश्यकता का अनुपालन करेगा, तथापि, यदि आपातकालीन स्टीयरिंग प्रणाली प्रदान की जाती है, तो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 144-2018 में यथा विनिर्दिष्ट आपातकालीन स्टीयरिंग प्रणाली के लिए अतिरिक्त अनुपालन अपेक्षाओं की भी अनुपालना की जाएगी। *"*

(4) नियम 120 के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:--

"(6) निर्माण उपस्कर यानों के मामले में, स्थिर परीक्षण स्थितियों के अधीन ऑपरेटर के कान पर उत्सर्जन ध्वनि दबाव का स्तर आईएस/आईएसओ: 6394:2008 के अनुसार होगा, गतिशील परीक्षण स्थितियों के अधीन ऑपरेटर के कान की स्थिति आईएस/आईएसओ:6396:2008 के अनुसार होगी और स्थिर परीक्षण की स्थिति में ध्वनि शक्ति का स्तर आईएस/आईएसओ:6393:2008 के अनुसार होगा, गतिशील परीक्षण की स्थिति में ध्वनि शक्ति का स्तर नीचे दी गई सारणी-1 और सारणी-2 में विनिर्दिष्ट सीमाओं का अनुपालन करते हुए समय-समय पर

यथा संशोधित आईएस/आईएसओ:**6395:2008** के अनुसार होगा**,** 1 अप्रैल**, 2021** को और उसके पश्चात् विनिर्मित यान चरण-1 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुपालन में होगा/होंगे तथा 1 अप्रैल**, 2024** को और उसके पश्चात् विनिर्मित यान चरण-2 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुपालन में होगा/ होंगे ।

(सारणी-*1:* स्थिर और गतिशील स्थितियों में ऑपरेटर के कान पर ध्वनि की सीमा

मशीन का प्रकार	ऑपरेटर की स्थिति पर उत्सर्जन ध्वनि दबाव स्तर डीबी(ए) (केबिन से सुसज्जित निर्माण उपस्कर यान के लिए)	
	चरण–I 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी मानक (आईएस/आईएसओ 6394 के अनुसार)	**चरण-II** 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी मानक (आईएस/आईएसओ 6396 के अनुसार)
संनिर्माण उपस्कर यान	90	85

सारणी-2: स्थिर और गतिशील स्थितियों में ध्वनि परीक्षण द्वारा पास के लिए ध्वनि की सीमा

मशीन का प्रकार	इंजन की सकल शक्ति पी, केडब्ल्यू	उत्सर्जक ध्वनि शक्ति स्तर सीमा डीबी(ए)	
		चरण–I 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी मानक (आईएस/आईएसओ 6393 के अनुसार)	**चरण-II** 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी मानक (आईएस/आईएसओ 6395 के अनुसार)
कॉम्पेक्शन मशीन (वाइब्रेटिंग रोलर)	पी≤8	110	107
	8≤पी≤70	111	108
	70≤पी≤560	91+11 लॉग पी	88+11 लॉग पी
पहिएदार लोडर, पहिएदार डोजर, बैकहो लोडर, स्किड स्टीयर लोडर, डंपर, मोटर ग्रेडर, रबड़ ट्रैक वाले डोजर्स, रबर ट्रैक या रबड़ पैड वाले पेवर्स अथवा पहिएदार पेवर्स, फोर्क लिफ्ट ट्रक, कॉम्पेक्टिंग रोलर्स (नॉन-वाइब्रेटिंग रोलर्स), या सीएमवीआर के क्षेत्र में आने वाला कोई अन्य संनिर्माण उपस्कर	पी≤55	110	107
	55<पी≤560	91+11 लॉग पी	88+11 लॉग पी
पहिएदार हाइड्रोलिक उत्खनक	पी≤15	98	95
	15<पी≤560	85+11 लॉग पी	82+11 लॉग पी
मोबाइल क्रेन, स्व-लदान कंक्रीट मिक्सर	पी≤560	93+11 लॉग पी	90+11 लॉग पी

टिप्पण : अनुमेय ध्वनि शक्ति स्तर को निकटतम पूर्ण संख्या (कम संख्या के उपयोग के लिए 0.5 से कम, उच्चतर संख्या के लिए 0.5 से अधिक या उसके समतुल्य) माना जाएगा। इंजन की सकल शक्ति पी को टीएपी 115/116/एआईएस 137 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(5) नियम 124-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"124-ग. संनिर्माण उपस्कर यानों (सीईवी) के घटकों के सुरक्षा मानक.--

निर्माण उपस्कर यान, एआईएस-160 के उपबंधों के अनुपालन में होंगे:

परंतु 1 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात् विनिर्मित संनिर्माण उपस्कर यानों के लिए एआईएस-160 के क्षेत्र के अनुसार एआईएस-160 का भाग 1 लागू होगा:

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके पश्चात् विनिर्मित संनिर्माण उपस्कर यानों के लिए एआईएस-160 के क्षेत्र के अनुसार एआईएस-160 का भाग 2 लागू होगा।

[फा. सं. आरटी-11036/77/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ), तारीख 22 अक्तूबर, 2020 संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 27th October 2020

G.S.R. 673(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 502 (E), dated the 13th August,2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13th August, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-

(1) in rule 2, for sub-rule (cab), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(cab) "construction equipment vehicle" means a self-propelled machine with rubber tyred (including pneumatic tyred), rubber padded or rubber or steel drum wheel mounted compactor, wheeled hydraulic excavator, wheel loader, backhoe loader, skid-steer loader, dumper, motor grader, mobile crane, dozer and pavers with rubber track or rubber pads or wheeled pavers, fork lift truck, self-loading concrete mixer or self-propelled boom pumps, self-propelled or concrete pumps or any other construction equipment vehicle or combination thereof primarily designed to perform earth moving, excavation, loading, transportation, drilling, spreading, compacting or trenching of earth, rock, other materials, off-highway operations in mining, industrial

undertaking, irrigation and general construction but modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highway capabilities.

Explanation for the purpose of this clause.—a construction equipment vehicle or earth moving vehicle shall be a non-transport vehicle the driving on the road of which is incidental to the main off-highway function and for a short duration at a speed not exceeding fifty kilometres per hour, but such vehicle does not include other purely off-highway construction equipment vehicle designed and adopted for use in any enclosed premises, factory or mine other than road network, not equipped to travel on public roads on their own power for example slip form pavers, concrete pavers, cold milling machines, cold recycler machines and any construction equipment vehicle or earth moving vehicle with crawlers or metal track, for example, tracked excavator or excavator with legs are not considered to be falling under the scope of Central Motor Vehicles Rules, as they are not permitted to run on public roads;'

(2) in rule 96A, in sub-rule (7), after the proviso following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that construction equipment vehicle manufactured on and after the 1st day of April, 2021 shall be provided with the braking system having performance requirements stipulated in AIS:143-2017 as amended from time to time.";

(3) in rule 98A-

(a) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that construction equipment vehicle manufactured on and after the 1stday of April 2021, shall be adequately designed to ensure efficient and effective control of the vehicle under all driving conditions so that the vehicle is able to steer within a turning circle diameter of 24 meters, conforming to the test procedure specified in IS/ISO: 7457:1997 as amended from time to time, however in case of self-propelled tandem drum and single drum vibratory compactors, the turning circle radius and turning circle requirements shall be measured as per IS:5500 - Part 1 and Part 2, respectively.";

(b) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that construction equipment vehicle manufactured on and after the 1stday of April 2021, shall comply the steering effort requirement as stipulated in AIS: 144-2018as amended from time to time, however in case if emergency steering system is provided, the additional compliance requirements for emergency steering system as specified in AIS:144-2018 as amended from time to time, shall also be complied with.";

(4) in rule 120, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) In the case of construction equipment vehicles the emission sound pressure level at the Operator's ear position under static test conditions shall be in accordance with IS/ISO:6394:2008,Operator's ear position under Dynamic test conditions shall be in accordance with IS/ISO:6396:2008 and sound power level at stationary test condition shall be in accordance with IS/ISO:6393:2008, sound power level at Dynamic test condition shall be in accordance with IS/ISO:6395:2008 as amended from time to time, complying to the limits specified in Table -1 and Table -2 below and vehicle(s) manufactured on and after the 1st April 2021, shall comply to limits specified under phase-I and vehicle(s) manufactured on and after the 1st April 2024, shall comply to limits specified under phase-II-

Table -1: Noise limits for Operator Ear Level at Static and Dynamic Conditions

Type of Machine	Emission sound pressure level limit at operator's position, dB(A) (For Construction Equipment Vehicle fitted with cabin)	
	Phase – I norms effective from the 1st day of April, 2021 (As per IS/ ISO 6394)	Phase-II norms effective from the 1st day of April, 2024(As per IS/ ISO 6396)
Construction Equipment Vehicle	90	85

Table -2: Noise limits for Pass by Noise test at Static and Dynamic Conditions

Type of machine	Engine gross power P, kW	Emissive sound power level limit dB(A)	
		Phase – I norms effective from the 1st day of April, 2021 (As per IS/ ISO 6393)	Phase-II norms effective from the 1st day of April, 2024 (As per IS/ ISO 6395)
Compaction machines (vibrating rollers)	P≤8	110	107
	8≤P≤70	111	108
	70≤P≤560	91+11 log P	88+11 log P
Wheeled loader, wheeled dozer, Backhoe loader, Skid Steer Loader, Dumpers, Motor Grader ,Dozers with Rubber wheels, pavers with rubber track or rubber pads or wheeled pavers, fork Lift truck, compaction Rollers (non-vibrating Rollers), or any other construction equipment falling under the scope of CMVR	P≤55	110	107
	55<P≤560	91+11 log P	88+11 log P
Wheeled hydraulic excavator	P≤15	98	95
	15<P≤560	85+11 log P	82+11 log P
Mobile crane, self-loading concrete mixer	P≤560	93+11 log P	90+11 log P
Note: The permissible sound power level shall be rounded to the nearest whole number (less than 0.5 use lower number; greater than or equal to 0.5 use higher number). The engine gross power P shall be determined according to TAP 115/116/ AIS 137.”;			

IndiaCode

(5) after rule 124B, the following rule shall be inserted, namely:-

“124-C.Safety Standards of components for Construction Equipment Vehicles (CEV).- Construction equipment vehicles, shall comply with the provisions of AIS-160:

Provided that Part 1 of AIS-160, shall be applicable for construction equipment vehicles, as per scope of AIS-160, manufactured on and after the 1st April, 2021:

Provided further that Part 2 of AIS-160, shall be applicable for construction equipment vehicles, as per scope of AIS-160, manufactured on and after the 1st April, 2024.”.

[F. No. RT-11036/77/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),*vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd day of June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 661(E) dated the 22nd day of October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.10.27 20:02:20 +05'30'